



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(17)पंरावि/प्रशा.1/प्र.नि. समाप्त/वि.अ/2010/ 1812 जयपुर, दिनांक:- 18.7.2017

—:आदेश:—

श्री शिवराम मीणा, विकास अधिकारी पंचायत समिति केशोरायपाटन जिला बून्दी की पूर्णतः तदर्थ आधार पर विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (आयुर्वेद विभाग) को लौटायी जाकर श्री मीणा को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.14 के क्रम में अपना कार्यभार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों में से वरियता के क्रम में संभलाकर अपनी उपस्थिति तत्काल अपने पैतृक विभाग में प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गिरीश प्रशाशर)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूत्रनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्यसचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
8. शासन उप सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त कोटा।
10. जिला कलक्टर बून्दी।
11. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बून्दी।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति केशोरायपाटन जिला बून्दी।
13. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
14. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अलोड करावे।
15. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)